

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

नाम श्री विपक्षी श्रीधर लाल  
 मुकदमा वाफ पत्रावली संख्या 87/16 सन् 2015

क्र	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>15/5/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>साभ्यवार</u>                      के लिये मौका चाहते है। अतः <u>अतिरिक्त</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>20/6/25</u>                      को पेश हो।                      (SDO) मावली</p>	
	<p>20/6/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>साभ्यवार</u>                      के लिये मौका चाहते है। अतः <u>अतिरिक्त</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>28/7/25</u>                      को पेश हो।                      (SDO) मावली</p>	
	<p>28/7/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>साभ्यवार</u>                      के लिये मौका चाहते है। अतः <u>अतिरिक्त</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>5/8/25</u>                      को पेश हो।                      (SDO) मावली</p>	
	<p>05/08/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>साभ्यवार</u>                      के लिये मौका चाहते है। अतः <u>अतिरिक्त सन: 05/08/25 को अतिरिक्त</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>15/9/25</u>                      को पेश हो।                      (SDO) मावली</p>	
	<p>15/9/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>साभ्यवार</u>                      के लिये मौका चाहते है। अतः <u>अतिरिक्त सन: 05/08/25 को अतिरिक्त</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>24/10/25</u>                      को पेश हो।                      (SDO) मावली</p>	



24/10/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पत्रावली मय।  
अनुपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
वहिकार करने/ब्लॉक लगा कर न्यायिक कार्य  
स्थगित करने/अधिकारी की आज्ञा अवकाश/  
भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश  
के क्रम में दिनांक 29/10/25 को पेश हो।

81-  
2

29/10/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पत्रावली मय।  
अनुपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
वहिकार करने/ब्लॉक लगा कर न्यायिक कार्य  
स्थगित करने/अधिकारी की आज्ञा अवकाश/  
भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश  
के क्रम में दिनांक 31/10/25 को पेश हो।

81-  
2

09/12/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय  
स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय  
स्वयं वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई  
गई। समय साँच 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं  
वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित  
हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी  
अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम  
हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।  
निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(SDO) खयली